

हमारी वित्तीय संस्थाएँ

हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष चाहे वह कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों न हो वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर करना पड़ता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वित्तीय संस्थाएँ या तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती हैं अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती हैं, जिसे हम अर्द्धसरकारी वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ओर जहाँ सरकार द्वारा स्थापित अथवा सम्पोषित बैंकिंग संस्था साख या ऋण की उपलब्धि कराती है, वहीं अर्द्धसरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएँ कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती हैं। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान (BISCOMAUN) जैसी सहकारिता के संदर्भ में ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण की उपलब्धि कराती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। ऐसी संस्थाएँ बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएँ कहीं जाती हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (Micro Financing) की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे छोटे स्तर पर आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गाँवों के छोटे गरीब किसानों के लिए

कराई जाए।

इस अध्याय में हम वित्तीय संस्थाएँ की विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारे नित्य जीवन में साख अथवा ऋण की उपलब्ध कराता है।

वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions)

वित्तीय संस्थाएँ मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं, जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएँ समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। किसी भी आर्थिक और व्यवसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपये-पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सकें। ऐसे परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएँ उनके लिए उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है।

वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions)

हमारे देश की वे संस्थाएँ जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम (Enterprise) एवं व्यवसाय (Business) के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं। मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएँ राज्य संपोषित होती है और देश के केन्द्रीय बैंक जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) कहते हैं, के दिशा निर्देश के अन्तर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है।

सरकारी वित्तीय संस्थाएँ (Government Financial Institutions)

सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं। जैसे – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), इलाहाबाद बैंक इत्यादि।

अर्द्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएँ (Semi-Government Financial Institutions)

ऐसी वित्तीय संस्थाएँ जो सरकार के केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसे इस अर्द्धसरकारी वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं। जैसे – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कॉपरेटिव बैंक इत्यादि।

सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ (Micro Financial Institutions)

छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं। इस संदर्भ में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित **प्रो० मो० युनुस** का प्रयास सराहनीय है। जो गरीब ग्रामीणों के लिए सूक्ष्म वित्त प्रबंधन के माध्यम से उनके विकास कार्यों में सहयोग किया है और जिसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही ये वित्तीय संस्थाएँ अपने ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वे समस्त व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो विकास के काम में लगे हुए हैं और जो अपने कार्यों के लिए रुपए-पैसे की संस्थागत माँग करते हैं वे सभी इन वित्तीय संस्थाओं के ग्राहक हैं। अतः आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है जिसके बिना विकास की क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती।

वित्तीय संस्थाएँ के प्रकार (Kinds of financial institutions) – वित्तीय संस्थाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं-

(क) राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ (National Financial Institutions)

(ख) राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ (State-level Financial Institutions)

सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों की चर्चा करेंगे-

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ (National Financial Institutions)

ऐसी वित्तीय संस्थाएँ जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं उसे हम **राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ** कहते हैं।

इनके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं -

(क) भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)

(ख) भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market)

अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहाँ उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। भारतीय पूँजी बाजार में भी उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है।

सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं जबकि असंगठित क्षेत्र में देशी बैंक जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल की जाती हैं।

देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित तीन प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है -

1. केन्द्रीय बैंक (Central Bank)- भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) देश की केन्द्रीय बैंक है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा-निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है।

2. वाणिज्य बैंक (Commercial Bank)- देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं और अन्य ऐसे भी वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कही जाती हैं। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व (Ltd) जुड़ा होता है, वे बैंक निजी क्षेत्र की बैंक होती हैं।

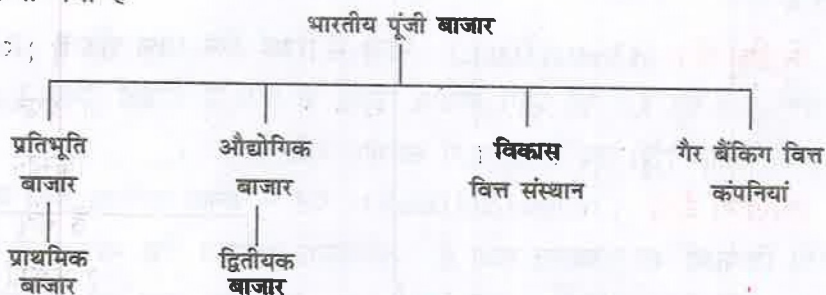
3. सहकारी बैंक (Co-Operative Bank) - सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएँ कार्यशील हैं। सहकारी बैंक अलग-अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये बैंक केन्द्रीय बैंक (RBI) के दिशा निर्देश पर काम करती है किन्तु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भारत के उद्योगकर्ता एवं कृषक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसके कारण यहाँ बहुत सारे

औद्योगिक घरानों का विकास हुआ। खासकर बड़े-बड़े उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कृषक भी इन वित्तीय संस्थानों से लाभान्वित होते रहे हैं और इनके द्वारा उद्योग का विकास किया जा रहा है।

भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market)

भारतीय पूँजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूँजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूँजी की माँग बड़े-बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है-



भारतीय पूँजी बाजार मूलतः इन्हीं चार वित्तीय संस्थानों पर आधारित है जिसके चलते राष्ट्र-स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे- सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण-संस्थान, विद्युत-उत्पादन

संयंत्र एवं बड़े-बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थानों का काफी योगदान होता है।

वित्तीय संस्थाएँ किसी भी देश का मेरूदंड (Back Bone) माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। यह संतोष की बात है कि भारत की वित्तीय राजधानी (Financial-Capital) मुंबई में एक सुसंगठित पूँजी बाजार है जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। भारत का यह पूँजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसमें विश्व के अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। मुंबई के जिस जगह पर इस पूँजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट (Dalal Street) कहा जाता है। बिहार में अबतक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो सका है जिसके कारण यहाँ का औद्योगिक विकास शिथिल रहा है। बिहार के लोगों के द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंकों में जमा किए जाते हैं, उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। इस तरह स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार का आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार के अनवरत प्रयास से अब कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा विनियोग की सीमा बढ़ाई गई है। किन्तु अभी भी यहाँ के आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की अपेक्षा से बहुत कम है।

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ (बिहार के संदर्भ में)

हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। जहाँ 87 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा करीब 75 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु-कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं जिनके पास आय (Income) की कमी है तथा वे अपना बचत (Saving) नहीं के बराबर कर पाते हैं। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश (Investment) नहीं कर पाते, इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाएँ द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती है।

राज्य में मुख्यतः दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ कार्यरत हैं-

1. गैर-संस्थागत और 2. संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ- इन्हीं के द्वारा साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ

(क) गैर-संस्थागत (Non-Institutional)

- महाजन
- सेठ-साहुकार
- व्यापारी
- रिश्तेदार एवं अन्य

(ख) संस्थागत (Institutional)

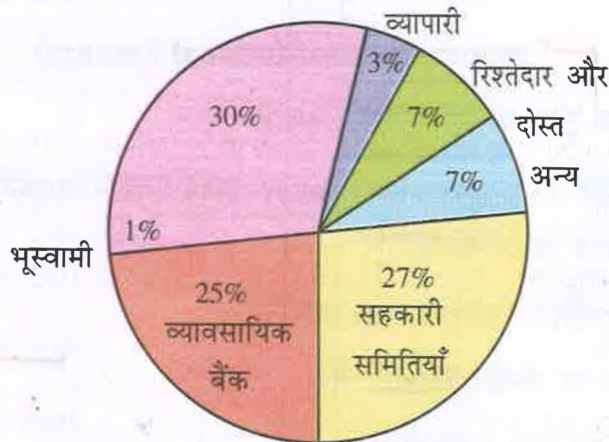
- सहकारी बैंक
- प्राथमिक सहकारी समितियाँ
- भूमि विकास बैंक
- व्यावसायिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- नार्बाड एवं अन्य

गैर-संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ (Non-Institutional Financial Institutions)-

महाजन आज भी गाँवों में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज है । ऐसे महाजन व सेठ-साहुकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार व्यक्ति से अमानत स्वरूप उनके जमीन, जेवर-जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं । यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है । अमानत के बदले ऋण लिए गए ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफी ज्यादा होती है । इसकी अदायगी यदि समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफी कष्टकारी हो जाता है ।

ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गाँव के अन्य किसानों, रिश्तेदार इत्यादि से ब्याज अथवा बिना ब्याज का भी प्राप्त होता है। इस प्रकार गैर-संस्थागत स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग 48 प्रतिशत है। इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक पाइ चार्ट के द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है—

भारत के ग्रामीण परिवारों में साख के स्रोत (2003) का औसतन आँकड़ा



गैर-संस्थागत स्रोत द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित कहानी

दीनदयाल एक गरीब खेतीहर मजदूर है। इसके परिवार में दो बच्चे एवं तीन लड़कियाँ हैं। अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पति-पत्नी खेतों में मजदूरी करता है। इस मजदूरी से किसी तरह परिवार को चला पाता है। इसकी अपनी जमीन मात्र 4 कट्ठा है। जिस पर साग-सब्जी उपजाता है। एक बार दीनदयाल की पत्नी जोरों से बीमार पड़ गई। गाँव में इलाज कराते-कराते थक गया। देहाती डॉक्टर ने इसे शहर ले जाकर इलाज कराने को कहा। दीनदयाल के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वह इलाज करा पाता। तब दीनदयाल ने अपनी जमीन को अपने ही किसान के पास गिरवी रख दिया। जमीन के ऊपर उसने 2000 (दो हजार रुपए) दस प्रतिशत प्रतिमाह के दर पर कर्ज सूद (ब्याज) के साथ लिया। इलाज कराकर जब वह शहर से लौटा तो दीनदयाल की हालत काफी खास्ता हो चुका था। उसने काफी दिनों तक किसान को पैसा वापस नहीं कर पा सका। फलतः किसान उसकी जमीन को अपने नाम पर करवा लिया।

इस छोटे से कहानी से यह पता चलता है कि यद्यपि इस तरह के गैर-संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण गरीबों को जरूरत पर ऋण तो उपलब्ध हो जाता है। किन्तु अत्यधिक सूद पर दर और महाजनों द्वारा किए गए अन्य प्रकार के यंत्रणा से गरीब मजदूरों का अत्यधिक शोषण होता है।

संस्थागत वित्तीय स्रोत (Sources of Institutional Finance)

संस्थागत वित्तीय स्रोत के निम्नलिखित रूप हैं-

1. सहकारी बैंक (Co-operative Bank)- हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था त्रिस्तरीय है-

- A. गाँवों में प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ
- B. जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक
- C. राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक

इनके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 25 केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है।

2. प्राथमिक सहकारी समितियाँ (Primary Co-operative Societies) - इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गाँव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम दस व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियाँ प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (Primary Agriculture Co-operative Societies PACS) भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन (एक वर्ष के लिए) ऋण देती हैं, परन्तु विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य के दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक प्रारूप के अनुसार, बिहार में 6842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियाँ कार्यरत हैं।

3. **भूमि विकास बैंक** (Land Development Bank)- राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान, कृषि में स्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं जिसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है।

4. **व्यावसायिक बैंक** (Commercial Bank)- देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति (1968) तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण (1969) के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं का विस्तार हुआ है तथा उनके द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए साख या ऋण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है-

व्यावसायिक बैंकों द्वारा बिहार में कृषि साख	
वर्ष	(करोड़ रुपये)
1972	7.30
1990-91	181.00
1995-96	242.00
2001	548.00

स्रोत- भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट फोकस पत्र बिहार 2002-03

यद्यपि राज्य में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन वह जरूरत के अनुकूल नहीं है। 2000-01 में लक्ष्य का मात्र 44 प्रतिशत ही कृषि साख प्रदान किया गया। बिहार में अनुमानतः 700 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि साख की जरूरत है, जबकि उपलब्धता मात्र 548 करोड़ रुपये की ही हुई।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) - सीमान्त एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ई० में स्थापित किया गया। बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं।

पिछले कुछ वर्षों में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा प्राप्त साख का संक्षिप्त व्योरा दिया जा रहा है-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा राज्य में उपलब्ध साख

वर्ष	(लाख रुपए में)
मार्च 1992	43276
मार्च 1996	66360
मार्च 2001	107940

स्रोत - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में सुधार हेतु बनी कार्यकारी रिपोर्ट, भारत सरकार, वित्त विभाग, जून 2002

ऊपर के सारणी में दिए गए आँकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो साख की सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, फिर भी छोटे एवं सीमांत किसान की जरूरतों को पूरा करने में वे सफल नहीं हुए हैं।

6. नाबार्ड (NABARD) - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त (Refinancing) प्रदान करनेवाली शिखर की संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्य में नाबार्ड ने 1998-99 से 2000-01 के बीच कुल 539.27 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सहायता प्रदान किया जिसमें 1998-99 में 172.30 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 175.90 करोड़ रुपए तथा 2000-01 में 191.07 करोड़ रुपए दिए गए।

इसके अतिरिक्त बिहार में किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे— बाढ़, सूखा, भूकम्प इत्यादि प्राकृतिक आपदा के बाद साख की सुविधा प्रदान की जाता है तथा अभी राज्य के सूक्ष्म वित्त (Micro-Financing) के द्वारा छोटे गरीब तबके के लोगों को छोटे पैमाने पर साख की सुविधा प्रदान की जाती है जो बहुत तेजी से बिहार राज्य में फल-फूल रहा है ।

व्यावसायिक बैंक का कार्य (Function of Commercial Bank)

हमारे देश में व्यावसायिक बैंक की प्रधानता है । ये अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग है । आज के युग में इसका इतना अधिक महत्व है कि जब कभी भी हम बैंक शब्द का प्रयोग बगैर किसी विशेषण के करते हैं तो इसका अर्थ सदा 'व्यावसायिक बैंक' से ही होता है । वास्तव में, व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं ।

व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य उल्लेखनीय है—

1. जमा राशि को स्वीकार करना (Accepting Deposits)— व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है । समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में ही जमा करते हैं । बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं ।

व्यावसायिक बैंक के कार्य

1. जमा राशि को स्वीकार करना (Accepting Deposits)
2. ऋण प्रदान करना (Providing Loans)
3. सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य (General Utility Functions) तथा
4. एजेंसी संबंधी कार्य (Agency Functions) ।

व्यावसायिक बैंक प्रायः चार प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं—

(i) **स्थायी जमा (Fixed Deposits)**— स्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतया यह रकम नहीं निकाली जा सकती है। इस प्रकार के जमा को सावधि जमा (Time Deposits) भी कहा जाता है। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देते हैं।

(ii) **चालू जमा (Current Deposits)**— चालू जमा खाते में रुपया जमा करनेवाला अपनी इच्छानुसार रुपया जमा करता है अथवा निकाल सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। सामान्यतया इस प्रकार का जमा व्यापारियों तथा बड़ी-बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। इसे **डिमांड जमा (Demand Deposits)** भी कहते हैं।

व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा

- (i) स्थायी जमा (Fixed Deposits)
- (ii) चालू जमा (Current Deposits)
- (iii) संचयी जमा (Saving Deposits) तथा
- (iv) आवर्ती जमा (Recurring Deposits)

(iii) **संचयी जमा (Saving Deposits)**— इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करनेवाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किन्तु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(iv) **आवर्ती जमा (Recurring Deposits)**— इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतया अपने ग्राहकों से प्रतिमाह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इसी प्रकार का एक अन्य जमा संचयी समयावधि जमा (Cumulative Time Deposit) भी होता है।

2. **ऋण प्रदान करना (Providing Loans)**— व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, उसमें से एक

निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत (Security) की माँग करते हैं। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम होती है।

व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं –

(i) अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण (Loans at call and short notice)–

इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल यानि एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक के लिए या केवल माँगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्थाएँ साधारणतया इस प्रकार का ऋण की माँग करती है।

व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रकार

- (i) अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण (Loans at call and short notice)
- (ii) नकद साख (Cash credit)
- (iii) अधिविकर्ष (Overdraft)
- (iv) विनिमय बिलों को भुनाना (Discounting of Bill of Exchange)
- (v) ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances)

(ii) नकद साख (Cash credit)– इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को

ऋण पत्र (Bonds), व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों (Securities) के आधार पर ऋण देते हैं।

(iii) अधिविकर्ष (Overdraft)– जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। किन्तु इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहक से उचित जमानत भी लेता है। साथ ही, इस प्रकार का ऋण पर बैंक सूद भी बहुत अधिक लेता है।

(iv) विनिमय बिलों को भुनाना (Discounting of Bill of Exchange)– व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। सामान्यतः

कटौती दर ब्याज दर के समान होती है ।

(v) ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances)— जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं । इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस पर ब्याज की दर भी अधिक रहती है ।

3. सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य (General Utility Functions)— इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। जैसे -

(i) यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना (Traveller's cheque and to issue letters of credit)— ये अपने

ग्राहकों के लिए साख-पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करते हैं जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से भी सुगमतापूर्वक माल उधार खरीदते हैं । साख-पत्रों को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय एवं आदान-प्रदान में भी सहायता प्रदान करते हैं ।

(ii) लॉकर की सुविधा (Locker Facilities)— बैंक अपने ग्राहकों को

लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करता है जिनमें लोग अपने सोने-चाँदी के जेवर तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र सुरक्षित रख सकते हैं । इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है ।

(iii) ATM एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा (ATM and Credit Card Facilities)— आधुनिक समय में बैंक अपने खाता धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के रूप में ATM सेवा दे रहे हैं । साथ ही क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान होने से ग्राहक विश्व में एक

व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जानेवाली अन्य सेवाएँ

- (i) यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना (Traveller's cheque and to issue letters of credit)
- (ii) लॉकर की सुविधा (Locker Facilities)
- (iii) ATM एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा (ATM and Credit Card Facilities)
- (iv) व्यापारिक सूचनाएँ एवं आँकड़े एकत्रीकरण (Collecting Business Informations and Statistics)

निश्चित राशि तक खरिदारी करके कार्ड द्वारा भुगतान कर सकता है।

(iv) व्यापारिक सूचनाएँ एवं आँकड़े एकत्रीकरण (Collecting Business Informations and Statistics)– बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएँ एवं आँकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं।

4. एजेंसी संबंधी कार्य (Agency Functions)– वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। इसके अन्तर्गत बैंक (a) चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन, (b) ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, (c) ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, (d) प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय तथा (e) ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण अदि क्रियाएँ करती हैं।

सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका

सहकारिता (Co-operation)

पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ही विश्व में निर्बल एवं निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार तथा प्रसार प्रारंभ हुआ। सहकारिता का अर्थ है “एक साथ मिल-जुलकर कार्य करना” लेकिन, अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है, “सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिल-जुलकर समान स्तरपर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिल-जुलकर कार्य करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत यह भी बतलाता है कि विपन्न एवं शक्तिहीन व्यक्ति एक-दूसरे के साथ मिलकर व्यापारिक सहयोग के द्वारा ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सकें जो धनी और शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो और जिससे उनका नैतिक विकास हो। सहकारिता के द्वारा जीवन के ऐसे उच्च एवं अधिक समुन्नत स्तर की वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है जिसमें श्रेष्ठतम कृषि तथा समृद्ध जीवन संभव हो सके। अंततः इसका सिद्धांत “सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए है।” (All for each and each for all)।

मूलभूत-तत्त्व

इसके मुख्यतः तीन आधारभूत सिद्धांत हैं। एक तो यह कि यहाँ संगठन की सदस्यता

स्वैच्छिक होती है। लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। उनपर कोई बाहरी बंधन या दबाव नहीं होता।

दूसरा, इसका प्रबंध व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूँजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वे एक-दूसरे के बराबर समझे जाते हैं और सबको एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं।

तीसरा, इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू से भी सदस्यों के हितलाभ के लिए कार्य करता है। इसका ध्येय दूसरों को लूट-खसोट करके धनवान बनाना नहीं है बल्कि आत्म-सहायता और पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ एवं सुख-समृद्धि को बढ़ाना है।

भारत में सहकारिता का विकास

भारत में पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में ही निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। इसके लिए सर्वप्रथम 1904 ई० में एक "सहकारिता साख समिति विधान" पारित हुआ। जिसके अनुसार गाँव या नगर में कोई भी दस व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे।

1904 के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित होनेवाली सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए 1912 ई० में एक और अधिनियम बनाया गया। इस नए अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त, अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियाँ स्थापित करने एवं प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए केन्द्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। पुनः इसकी प्रगति की समीक्षा एवं इसके भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 ई० में मेक्लेगन समिति नियुक्त की गई। 1919 ई० के राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय (Provincial Transferred Subject) बन गई। अतएव, इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया।

1929 ई० की महान आर्थिक मंदी ने इसके विकास पर विराम लगा दिया। लेकिन, 1935 ई० में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत एक कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) का संगठन किया गया जिसका कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान करने थे।

सहकारी बैंक

1. प्राथमिकी सहकारी समितियाँ
2. राज्य सहकारी बैंक
3. केन्द्रीय सहकारी बैंक

सहकारिता समितियों के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होता है। जो हमारे देश में तीन स्तर पर काम करते हैं। जिसे निम्न बॉक्स में दर्शाया गया है -

राज्य के विकास में भूमिका

बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। एकीकृत बिहार (झारखंड सहित) के समय इसके आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे। परंतु राज्य बँटवारा के बाद यह सारी सम्पदा आज के बिहार से अलग हो गया। वह सारा भू-खंड जहाँ प्राकृतिक संपदाएँ केन्द्रित थी, वह राज्य बँटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया। फलस्वरूप शेष बचे बिहार में कृषि-भूमि ही एक मात्र मूल साधन है। जिसपर बिहार की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत आबादी निर्भर करता है। यहाँ की खेती भी मानसून पर आधारित है। सामान्यतः खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। चूँकि खेती बिहारवासियों के जीविका का आधार है इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहारी कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश है।

बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता और ईट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलायी जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सहकारी बैंक से रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। जहाँ भी इस तरह के रोजगार चलायी जा रही है वहाँ के जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे-धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ रहा है।

स्वयं-सहायता-समूह (Self-Help-Group)

गाँव, कस्बा और जिला के विकास में इसकी भूमिका

पिछले खण्ड में हमने देखा कि हमारे देश के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज्यादातर गैर-संस्थागत (Non-Institutional) स्रोतों पर निर्भर हैं। इसका एक तो यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा अभी भी नहीं है। तथा दूसरी ओर गैर-संस्थागत ऋणदाता जैसे - महाजन, सेठ-साहुकार इत्यादि इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊँची रखते हैं। लेन-देन की लिखा-पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करके उनका शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।

हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं-सहायता-समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूँजी को एकत्रित करने पर आधारित है।

स्वयं-सहायता-समूह एक समान सामाजिक, आर्थिक स्तर के आस-पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाई समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो आपसी सहयोग व संसाधनों से विकास के लिए प्रयासस्त हो। जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सकें।

स्वयं-सहायता समूह (Self Help Group)

स्वयं-सहायता-समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों (खासकर महिलाओं) का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियाँ चलाकर गाँवों का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं।

इसे दिए गए चित्र संख्या 4.1 के माध्यम से आसानी पूर्वक समझा जा सकता है—



चित्र 4.1 : स्वयं सहायता समूह

ऐतिहासिक-पृष्ठभूमि

भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत व विकास कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को संगठित करके आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक के अंत में की। परन्तु 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं-सहायता-समूह पूरे देश में फैल गए। अब तो सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी बैंक व आर्थिक व सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का दंश झेल रहे परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक नयी आशा की किरण लेकर आया है।

भूमिका

एक स्वयं सहायता समूह में एक-दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति-व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकते हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहुकार द्वारा लिए जानेवाले ब्याज से कम होता है।

एक या दो वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए, सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूँजी की जरूरतें (बीज, खाद, बाँस और कपड़े खरीदने के लिए), घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं।

बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह में दिए जाने वाले ऋण उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने के अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण, बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह गाँव, कस्बा और

स्वयं-सहायता समूह एवं सूक्ष्मवित्त योजना

सूक्ष्मवित्त योजना के द्वारा गाँव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है।

जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वालम्बी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। जहाँ वह तरह-तरह के सामाजिक विषयों जैसे— स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है।

स्वयं-सहायता समूह (Self Help Group) स्वयं-सहायता समूह को एक कहानी के माध्यम से भी समझा जा सकता है। नवादा जिला बिहार का एक अति पिछड़ा जिला है। इस जिला के अन्तर्गत गोबिंदपुर एक प्रखंड है जिसके चारों ओर प्राकृतिक छटाएँ अति ही रमणीय हैं। इस गाँव में एक पहाड़ी नदी भी है। जिसका नाम सकरी नदी है। इस नदी के किनारे एक छोटा-सा गाँव “दर्शन” है। इस गाँव की मिट्टी का कटाव प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण होता जा रहा है। यहाँ के लोगों की मुख्य पेशा कृषि मजदूरी है। खेती-बारी के बाद बचे हुए समय में यहाँ के लोग मजदूरी के लिए इधर-उधर भटकते हैं। इस गाँव की 20 महिलाओं ने एक समूह का निर्माण किया। समूह बनाने के बाद सभी महिलाओं ने प्रखंड से संपर्क कर पंजाब नेशनल बैंक से 15000/- रुपये का ऋण प्राप्त कर गाँव में ही सभी मिलकर टोकरी बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस समूह के सहयोग से यह उद्योग चल पड़ा। प्रारंभ में समूह के द्वारा निर्मित टोकरी से लगभग 6000/- (छः हजार) रुपये का लाभ हुआ। इन रुपयों को सभी महिलाओं ने अपने-अपने नाम से बैंक में खाता खोलवाकर बराबर-बराबर मुनाफा आपस में बाँट लिया, फलस्वरूप 300/- (तीन सौ) रुपये प्रत्येक महिलाओं को आमदनी हुई। अब ये सारी महिलाएँ स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर अपनी आर्थिक दशा सुधारने लगीं। आज समूह इस प्रखण्ड का अग्रणी स्वयं सहायता समूह (Self Help-Group) है और प्रखण्ड स्तर पर काफी नाम कमा रहा है।

इस कहानी को चित्र संख्या 4.2 के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है—



चित्र 4.2 : स्वयं सहायता समूह के द्वारा टोकरी निर्माण करती महिलाएँ

उपरोक्त चित्र संख्या 4.2 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से टोकरी बनाती हुई महिलाओं को दिखाया गया है ।

सारांश

- साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है और ये वित्तीय संस्थाएँ सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती हैं अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता से भी स्थापित होती हैं जिन्हें सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी वित्तीय संस्थान कहते हैं ।
- **वित्तीय संस्थाएँ**— जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं ।

- **वित्तीय संस्थाएँ के प्रकार**— वित्तीय संस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं— (क) राष्ट्र स्तरीय (ख) राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान ।
- **राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ**— जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं ।
- **इसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं**— (क) भारतीय मुद्रा बाजार (ख) भारतीय पूँजी बाजार ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है उसे भारतीय मुद्रा बाजार तथा जिसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है उसे भारतीय पूँजी बाजार कहा जाता है ।
- भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में तथा भारतीय पूँजी बाजार को प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के रूप में बाँटा जाता है ।
- **राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ**— इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं— (क) गैर-संस्थागत (ख) संस्थागत वित्तीय स्रोत ।
- **व्यावसायिक बैंक**— इसके चार महत्वपूर्ण कार्य हैं— (क) जमा राशि को स्वीकार करना, (ख) ऋण प्रदान करना, (ग) सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य तथा (घ) एजेंसी संबंधी कार्य ।
- **सहकारिता**— सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं ।
- **स्वयं सहायता समूह**— यह ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गाँवों के विकास में अपना योगदान देते हैं ।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें ।

1. गैर-संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है -
(क) देशी बैंकर (ख) महाजन (ग) व्यापारी (घ) सहकारी बैंक
2. इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है -
(क) सेठ-साहुकार (ख) रिश्तेदार (ग) व्यावसायिक बैंक (घ) महाजन
3. भारत के केन्द्रीय बैंक कौन है ?
(क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (घ) पंजाब नेशनल बैंक
4. राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है।
(क) 50 (ख) 75 (ग) 35 (घ) 25
5. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करनेवाली संस्था कौन सी है।
(क) कृषक महाजन (ख) भूमि विकास बैंक
(ग) प्राथमिक कृषि साख समिति (घ) इनमें कोई नहीं
6. भारत की वित्तीय राजधानी (Financial Capital) किस शहर को कहा गया है।
(क) मुंबई (ख) दिल्ली (ग) पटना (घ) बंगलोर
7. सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी।
(क) 1929 ई० (ख) 1919 ई० (ग) 1918 ई० (घ) 1914 ई०
8. देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है।
(क) 190 (ख) 192 (ग) 199 (घ) 196
9. व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया।
(क) 1966 ई० (ख) 1980 ई० (ग) 1969 ई० (घ) 1975 ई०

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ।

1. साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थानों के द्वारा की जाती है ।
2. ग्रामीण क्षेत्र में साहुकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा है।

3. प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है ।
4. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में हुई ।
5. वित्तीय संस्थाएँ किसी भी देश का माना जाता है ।
6. स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं ।
7. SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लेते हैं ।
8. व्यावसायिक बैंक प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं ।
9. भारतीय पूँजी बाजार वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।
10. सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है ।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short- Answer Questions) (लगभग 20 शब्दों में उत्तर दें)

1. वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं ।
2. राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बाँट जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें ।
3. किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है ।
4. व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं ? संक्षिप्त विवरण करें।
5. सहकारिता से आप क्या समझते हैं ?
6. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से आप क्या समझते हैं ?
7. भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई । संक्षिप्त वर्णन करें ।
8. सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions) (लगभग 100 शब्दों में उत्तर दें)

1. राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं ? इसे कितने भागों में बाँट जाता है ? वर्णन करें।
2. राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें ?
3. व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें ?
4. सहकारिता के मूल तत्त्व क्या है ? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें।

5. स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ किस प्रकार अपनी अहम् भूमिका निभाती है ? वर्णन करें।

अतिरिक्त परियोजना/ कार्यकलाप

नीचे दी गई प्रश्नावली के अनुरूप अपने आस-पड़ोस के किसी भी बैंक में जाकर वहाँ इस बात का सर्वेक्षण करें कि किस वर्ग समूह को कितने ऋण की आवश्यकता थी, उन्हें ऋण उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं, यदि ऋण उपलब्ध कराया गया तो ऋण की कितनी राशि मिली और कितने दिनों में ऋण उपलब्ध कराया गया। यदि नहीं तो उसके कारण की चर्चा करें। परियोजना कार्यक्रम का निम्नलिखित चार बिन्दुओं को दिखाएँ—

1. बैंक का नाम
2. ऋण आवेदक की पृष्ठभूमि
3. ऋण की राशि जो माँगी/जो दी गई
4. ऋण उपलब्ध कराने की अवधि

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर

- | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------|------------|--------|
| I. | 1. (ख) | 2. (ग) | 3. (क) | 4. (घ) | 5. (ख) |
| | 6. (क) | 7. (ख) | 8. (घ) | 9. (ग) | |
| II. | 1. वित्तीय | 2. 30 प्रतिशत | 3. अल्पकालीन | 4. 1935 ई० | |
| | 5. मेरूदंड (Back-Bone) | 6. 15-20 | 7. समूह के सदस्य | 8. चार | |
| | 9. दीर्घकालीन | 10. छोटे या लघु | | | |